अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक–18.09.2018 को सम्पन्न बैठक में दिए गए निदेश।

अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग द्वारा लघु सिंचाई योजनाओं की समीक्षा दिनांक–18.09.2018 को की गई एवं निम्न निदेश दिए गए :–

सर्वप्रथम विगत बैठक का अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया।

1. विगत बैठक में यह निदेश दिया गया था कि विभाग द्वारा निर्मित सभी चेकडैम योजनाओं की सूची तैयार की जाए जिसमें योजना से संबंधित सभी सूचनाओं के साथ–साथ लाभुक समिति की सूची उनका मोबाईल नं0 भी अंकित हो। क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि लाभुक समितियों का मोबाईल नं0 प्राप्त होने में कठिनाई हो रही है।

   बैठक में निदेश दिया गया कि प्रत्येक योजना के लाभुक समिति की बैठक आहुत की जाए एवं जल उपभोक्ता समिति के मोबाईल नं0 के साथ 30.09.2018 तक बैठक की कार्यवाही विभाग को उपलब्ध कराई जाए।

   लाभुक समिति के साथ होने वाले बैठक का Agenda विभागीय स्तर पर तैयार करने का निदेश दिया गया।

   (अनुपालनः– मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / दुमका / मुख्य अभियंता (मो0))

2. क्षेत्रीय कार्यपालक अभियंता, जल उपभोक्ता समिति की बैठक हेतु कनीय अभियंता को योजनावार Observer के रूप में प्राधिकृत करेगें। विभाग द्वारा जल उपभोक्ता की समिति की बैठक हेतु एजेन्डा निर्धारित कर दिया जाएगा। कार्यपालक अभियंता द्वारा जल उपभोक्ता समिति की सभी बैठक की कार्यवाही 30.09.2018 तक विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा।

   (अनुपालनः– अभियंता प्रमुख–II / सभी कार्यपालक अभियंता, ल0सिं0)

3. जल उपभोक्ता समिति की बैठक प्रत्येक 3 माह पर बुलाने का निदेश दिया गया।

   (अनुपालनः– मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / दुमका)

4. किसी भी योजना पर सामान्यतः प्रशासनिक स्वीकृति की राशि से अधिक व्यय नहीं किया जाय।

   (अनुपालनः– सभी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई,)

5. आवश्यकतानुसार विभागीय अनुमति के उपरात ही प्रशासनिक स्वीकृति की राशि से अधिक राशि का व्यय किया जाएगा।

   (अनुपालनः– मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / दुमका)

6. आवंटन की अधियाचना योजनावार करने का निदेश दिया गया।

   (अनुपालनः– मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / दुमका)

7. मुख्यालय एंव क्षेत्रीय पदाधिकारियों को योजना के साथ–साथ कार्यालय निरीक्षण करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / दुमका)

8. क्षेत्रीय पदाधिकारियों को Tour Diary संधारित करने एवं Tour Programmee उच्च पदाधिकारी को देने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / दुमका)

9. सभी बैठकों में दिए गए निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / दुमका)

10. चल रही योजनाओं की प्रगति का सघन अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया एवं योजनाओं को 20 जनवरी 2019 तक पूर्ण कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / दुमका)

11. सभी कार्यपालक अभियंता अपने प्रक्षेत्राधीन संभावित एवं क्षतिग्रस्त योजनाओं की सूची दिनांक–25.09.2018 तक विभाग में समर्पित करेंगे।

(अनुपालनः– मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / दुमका)

12. सभी प्रमंडलों के लघु सिंचाई योजनाओं से हो रहे लाभ का data तैयार करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / दुमका)

13. जिला स्तर पर प्रखंडवार / ग्रामवार जल संसाधन विभाग की समस्त अंचल परिसम्पतियों का Asset register विधिवत तैयार करने का निदेश दिया गया, जिसमें पूर्ण योजना से संबंधित योजना का नाम, सिंचन क्षमता, सिंचाई उपलब्धि अंकित हो।

(अनुपालनः– मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / दुमका)

ह0 / –
अपर मुख्य सचिव
जल संसाधन विभाग,राँची।

पत्रांक–3 / पी०एम०सी० / बैठक / 60 / 2013.......................... / राँची, दिनांक–.....................

प्रतिलिपिः–अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग / मुख्य अभियंता (मो0) / मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / दुमका / सभी अधीक्षण अभियंता लघु सिंचाई अंचल / सभी कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई प्रमंडल / प्रबंध निदेशक, झालको, राँची / निदेशक, भू–गर्भ जल निदेशालय, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
अभियंता प्रमुख–II
जल संसाधन विभाग,राँची।

पत्रांक–3 / पी०एम०सी० / बैठक / 60 / 2013............................ / राँची, दिनांक–......................

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

EO/–

अभियंता प्रमुख–II
जल संसाधन विभाग,राँची।

पत्रांक–3 / पी०एम०सी० / बैठक / 60 / 2013....418.... / राँची, दिनांक–....04/10/18

प्रतिलिपिः–वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख–II
जल संसाधन विभाग,राँची।